छत्तीसगढ़

जुलाई-सितंबर २०२१ अंक-०१

www.cgpanch.org

पंच संवाद

छत्तीसगढ़ पंचायत नेटवर्क फार चिल्ड्रेन

सीजी-पंच का मुख पत्र

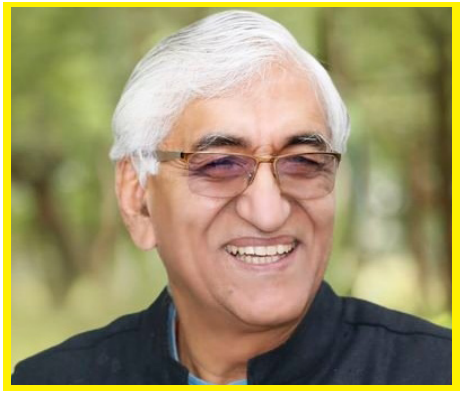

शुभकामना संदेश

मुझे इस बात की बेहद खुसी है कि, हमारे प्रदेश के कर्मठ एवं जागरूक सरपंच साथियों ने सामूहिक तौर पर सिखने और क्षमता विकास के सोच के साथ ''**छत्तीसगढ़ पंचायत नेटवर्क फार चिल्ड्रेन (सीजी-पंच)**'' नामक साझा मंच का गठन किया है। एक दूसरे के अनुभवों से उभरी सिख जीवन पर्यन्त साथ रहती है और हमारे व्यक्तिगत जीवन एवं कार्यक्षेत्र में हमारे काम आती है ऐसे ही अनुभवों को बाँटने तथा पंचायतों में आप सभी के द्वारा किये जा रहे नवाचारों एवं बेहतर प्रयासों को आपस में साझा करने तथा बढ़ावा देने के लिए सीजी पंच का त्रैमासिक मुखप्रत्र ''**छत्तीसगढ़ पंच संवाद**'' एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा ऐसा मेरा मानना है

पंच संवाद के प्रथम अंक के ई-प्रकाशन हेतु सम्पादकीय समूह को अपनी शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ

(टी.एस.सिंहदेव)

सम्पादकीय

15 वां वित्त आयोग एवं महिला बाल केन्द्रित जी .पी .डी .पी

ग्राम स्वराज और ग्राम गणराज्य का विचार हमारे परंपराओं का हिस्सा रहा है, और संविधान की उत्पत्ति के दौरान भी संविधान सभा की बहस में प्रमुख रहा है।

भारत में सहस्तांतरण की कहानी दो दशक पहले 73वें एवं 74 वें संवैधानिक संशोधनों के साथ शुरू हुई,

जिसके तहत सरकार का तीसरे स्तर : पंचायत और नगर पालिकाओं का गठन किया गया और उन्हें महत्वपूर्ण शक्तियाँ और उत्तरदायित्व सौंपे गए। ग्राम पंचायतों के जन प्रतिनिधियों ने देश भर में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के सकारात्मक उदाहरण प्रदर्शित किए हैं।

स्थानीय सरकारों को वित्तीय हस्तांतरण :

योजना क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वित्त आयोग का गठन कर स्थानीय निकायों को पांच वर्षों के लिए अनुदान राशि की घोषणा की जाती है। इन अनुदान के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्र एवं राज्य संपोशित योजना के माध्यम से भी धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने वर्ष 2021-26 के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं, जिसमें पंचायतों के लिए वित्तीय हस्तांतरण में बदलाव किया गया। एक ओर जहां 14वें वित्त आयोग ने सिर्फ ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान की अनुसंशा की वहीं दूसरी ओर 15वे वित्त आयोग ने पंचायती राज के तीनों स्तरों के लिए अनुदान की

सिफारिश करते हुए राज्यों को अनुपात तय करने का जिम्मा दिया। छत्तीसगढ़ राज्य तृतीय वित्त आयोग ने सकल अनुदान से जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के लिए क्रमश :10 :15 :75 :अनुदान निश्चित किया है।

दूसरा, पिछले वित्त आयोगों की तुलना में, ग्रामीण स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :

वित्त आयोग	कुल अनुदान (करोड़ में)	वृद्धि प्रतिशत
12वां	20000 .00	2 .5
13वां	63015 .00	7 .87
14वां	200292 .00	25 .04
15वां	236805 .00	29 .60

तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव अनुदान के उपयोग संबंधी विभाजन में देखने को मिलता है। एक ओर 14वां वित्त ने आवद्ध एवं अनावद्ध अनुदान का अनुपात 50 :50 रखा था वहीं दूसरी ओर 15वीं वित्त ने यह अनुपात बदल कर 60 :40 कर दिया। अनुदान को खर्च करने की रीति में भी बदलाव किया गया है।

महिला एवं बाल केन्द्रित योजना : अवधारणा एवं उद्देश्य

यह सत्य है कि किसी भी ग्राम पंचायत, को विकसित आदर्श पंचायत बनाने की बात तबतक अधुरी होगी जबतक की उस पंचायत ,के बच्चों का सर्वांगीण विकास न हो।

इन्हीं सब बातों को ध्यान मे रखते हुए बाल विकास योजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन करने का प्रयास 2015 से किया जा रहा है, ताकि ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर पर कार्यरत वैसे विभाग के सेवाकर्मी जो बच्चों के साथ, बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से काम करते है एवं करने के लिए जिम्मेदार है, तथा - ए .एन .एम, मितानिन, आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक आदि के साथ मिलकर समन्वय बनाते हुए बच्चों ,गर्भवती एवं धात्री माताओं के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों मे आने वाले परेशानियों को चिन्हित कर उसे दूर करने हेतु सोच समझ के साथ आवश्यक समाधान हेतु एक स्पष्ट कार्य योजना की रुप रेखा (महिला बाल विकास योजना) तैयार कर जी .पी .डी .पी में एक

अध्याय के रुप में शामिल कर सकें।

जी.पी.डी.पी एक पंचायत स्तरीय एकींत नियोजन प्रक्रिया है इसमें ग्राम के सभी निवासियों (महिला युवक बच्चे श्रमिक कृषक) की समस्याओं एवं मुद्दों को पहचान कर उनके विश्लेषण एवं निराकरण के उपाय ग्राम वासियों एवं सरकारी कर्मचारियों के साथ बैठकर किया जाता है।

इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने हमर गांव हमर योजना अभियान के लिए जारी दिशानिर्देश में जी.पी.डी.पी निर्माण करने के दौरान वार्ड स्तर पर महिला एवं बाल सभाओं के आयोजन पर विशेष बल दिया है।

जी.पी.डी.पी की चुनौतियां:

जी.पी.डी.पी बनाने से पहले पंचायतों को रिसोर्स इनभेलप उपलब्ध न होना, जी.पी.डी.पी निर्माण में भौतिक संरचना निर्माण पर अधिक बल देना एवं बच्चों की भागीदारी नहीं किया जाना, अनेमियां, कुपोशण, बालश्रम, बाल तस्करी सरीखे सामा. जिक बुराईयों के खात्मे के लिए पंचायत ठोस गतिविधि का आभाव वास्तव में अभिसरण युक्त तथा गुणवत्तापूर्ण जी.पी.डी.पी निर्माण करने की पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है

जिसे पूरी संवेदनशीलता के साथ तैयार किया जाना चाहिए।

सम्पादकीय समूह

मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि सीजी पंच ''छत्तीसगढ़ पंच संवाद'' नामक त्रैमासिक मुखपत्र का प्रकाशन कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसमें दी गई जानकारियो से लाभ लेगें और भविष्य में इसे और अधिक सार्थक तथा लोकोपयोगी बनाने में अपना महति सहयोग प्रदान करेंगे। प्रथम अंक के प्रकाशन के लिए सम्पदकीय टीम को युनीसेफ की ओर से बधाई एवं उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं!

जोब जकारिया
राज्य प्रमुख, युनीसेफ छत्तीसगढ़

यह खुशी की बात है कि सीजी पंच आपसी संवाद बढ़ाने हेतु ''पंच संवाद'' नामक त्रैमासिक मुखपत्र का ई. प्रकाशन करने जा रहा है। इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य नई सूचनाओं का संशलेषण एवं प्रबंध, पंचायतों द्वारा किये जा रहे अच्छे प्रयास एवं अभिनव प्रयासों का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। मुझे आशा है कि पंचायतों के सशक्तिकरण तथा बाल हितैशी पंचायत निर्माण में पंच संवाद बहुमूल्य योगदान प्रदान करेगा। प्रथम अंक के प्राकाशन के उपलक्ष्य पर संप. ादकीय समूह को बधाई एवं शुभकामना!

बाल परितोश दाश
सामाजिक नीति विशेषज्ञ

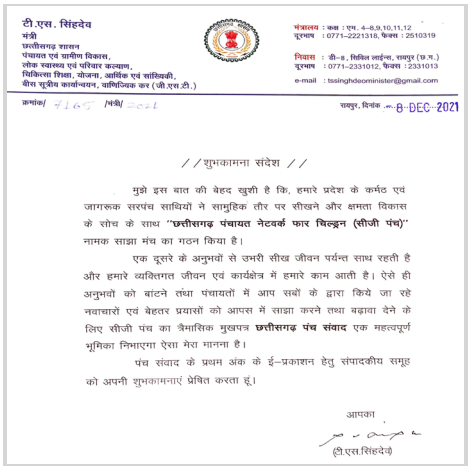

टी.एस. सिंहदेव
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
चिकित्सा शिक्षा, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी,
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.)

मंत्रालय : कक्ष : एम. 4–8,9,10,11,12
दूरभाष : 0771–2221318, फैक्स : 2510319
निवास : डी–8, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : 0771–2331012, फैक्स : 2331013
e-mail : tssinghdeominister@gmail.com

क्रमांक/ 7165 /मंत्री/ 2021 रायपुर, दिनांक 8 DEC 2021

//शुभकामना संदेश//

मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि, हमारे प्रदेश के कर्मठ एवं जागरूक सरपंच साथियों ने सामुहिक तौर पर सीखने और क्षमता विकास के सोच के साथ **''छत्तीसगढ़ पंचायत नेटवर्क फार चिल्ड्रन (सीजी पंच)''** नामक साझा मंच का गठन किया है।

एक दूसरे के अनुभवों से उभरी सीख जीवन पर्यन्त साथ रहती है और हमारे व्यक्तिगत जीवन एवं कार्यक्षेत्र में हमारे काम आती है। ऐसे ही अनुभवों को बांटने तंथा पंचायतों में आप सबों के द्वारा किये जा रहे नवाचारों एवं बेहतर प्रयासों को आपस में साझा करने तथा बढ़ावा देने के लिए सीजी पंच का त्रैमासिक मुखपत्र **छत्तीसगढ़ पंच संवाद** एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ऐसा मेरा मानना है।

पंच संवाद के प्रथम अंक के ई–प्रकाशन हेतु संपादकीय समूह को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

आपका

(टी.एस.सिंहदेव)

बालमित्र ग्राम पंचायत

एक ऐसा पंचायत जहाँ:–

1:– ग्राम पंचायत के सभी सदस्य जागरूक हैं, बच्चों के अधिकार को समझते हैं और उसे सुनिश्चित करते हैं। बच्चों की अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और पंचायत बच्चों के लिए कार्य योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं का विकास करते हैं। वे बच्चों से बच्चों के विशिष्ट आवश्यकताओं के मुद्दों पर उनके विचार एवं मनतव्य का सम्मान करते हैं एवं ग्राम पंचायत विकास योजना **(GPDP)** में उन आवश्यकताओं एवं समस्याओं को जगह देते हैं।

2:– संरचनाओं के विकास में दिव्यांग बच्चों की विशेष जरुरतों का ध्यान रखा जाता है

3:– बच्चों के साथ जुड़े जमीनी कार्यकर्ता, ए.एन.एम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, शिक्षक जागरूक हैं। वे बच्चों के अधिकारों को समझते हैं और उसे सुनिश्चित करते हैं और सक्रिय रूप से बाल केंद्रित गतिविधियों का सहयोग एवं समर्थन करते हैं। वे बच्चों के लिये सुरक्षित और भेदभाव रहित वातावरण सुनिश्चित करते हैं।

4:– माता–पिता, अभिभावक और समुदाय बच्चों के अधिकारों के बारे में जानते हैं और समझते हैं। बच्चों को पारिवारिक चर्चाओं में भागीदार बनाते हैं। वे उनकी रक्षा और सम्मान करते हैं और उनके साथ कभी भेदभाव नहीं करते हैं।

5:– बच्चे खुश, संरक्षित और सम्मानित हैं। उन्हे बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल और मनोरंजन की सुविधा मिल रही है। अपने से जुड़े मामलों में उनके विचारों को सुना जाता है। बच्चे अपनी पंचायत में उनके लिए उपलब्ध सेवाओं, गतिविधियों और सुविधाओं का भरपूर उपयोग करते हैं।

6:– एक समुदाय जहाँ बच्चों के अधिकारों का एहसास होता है और उनके अधिकारों को बरकरार रखा जाता है।

7:– स्थायी ग्राम स्तरीय कार्यक्रम समितियां गठित एवं क्रियाशील हो तथा इसके सभी सदस्य बालअधिकार के प्रति सजग एवं संवेदनशील हों और बाल केन्द्रित सभी सेवाओं की लगातार देख रेख करते हों।

बालमित्र पंचायत के प्रोत्साहन हेतु सरकार के कदम

2018 के दौरान पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने बालमित्र ग्राम पंचायतों **(CF-GP)** की ओर नए सिरे से ध्यान देने के साथ **GPDP** दिशानिर्देशों मे संसोधन किया है। साथ ही, प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों के चयनित एक सर्व. श्रेष्ठ बालमित्र पंचायत को सम्मानित करने की योजना लागू की है जिसके तहत एक विजेता पंचायत को प्रशस्ति पत्र के अलावा 5.0 लाख रुपये पुरस्कार स्वरुप प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ के कुटरु पंचायत, जनपद मैरमगढ़, जिला बीजापुर को वर्ष 2019 के लिए पुरस्कृत किया गया। सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार बालमित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार हेतु निम्न दस मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने तथा शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने पर जोर दिया गया है:–

1 :- 0 से 02 वर्ष के सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण।
2 :- 03 से 06 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शालापूर्व शिक्षा।
3 :- विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम 90 प्रतिशत उपस्थिति।
4 :- 06 से 14 वर्ष के शत-प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं उपस्थिति।
5 :- सभी घरों में शौचालय की उपलब्धता एवं खुले में शौच से मुक्त गांव।
6 :- 10 से 19 वर्ष के सभी किशोरी द्वारा माहवारी के दौरान सेनेटरी नैपकीन का उपयोग एवं उसके समुचित निस्तारण की व्यवस्था।
7 :- 03 से 06 वर्ष के सभी बच्चों को पोषणहार एवं कुपोषण से पूर्ण मुक्ति।
8 :- विद्यालयों में नांमांकित सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन की सुविधा एवं म0 भो0 यो0 का सामाजिक अंकेक्षण।
9 :- सभी परिवारों के लिए स्वच्छ पेयजल।
10 :- गांव में घेरेदार एवं कार्यरत खेल का मैदान।

आइये जाने पंचायती राज को

➡ गाँव जिनकी आवादी कम से कम एक हजार हो उस ग्राम को पंचायत का दर्जा दिया जायेगा, जिस गाँव की आबादी एक हजार से कम है उन गाँव का अन्य गाँव के साथ मिलाकर ग्रामपंचायत बनाया जायेगा!

➡ ग्राम पंचायत को उसकी आबादी के आधार पर वार्ड (पारों) में बंटा जायेगा जिनकी संख्यां कम से कम दस व् अधिक से अधिक बीस होगी! वार्डों को निर्धारित अरक्षण के अधर पर पिछड़ा वर्ग,अनुसूचित जाति, जनजाति, व् महिलायों के लिए आरक्षित किया जायेगा!

➡ ग्राम सभा के सदस्य (उस गाँव के ग्रामीण) अपने अपने वार्ड के लिए पंच तथा पूरी पंचायत के लिए एक सरपंच का चुनाव करेंगे साथ ही जनपद पंचायत एवं जिलापंचायत के सदस्यों का सीधे मतदान द्वारा इसी समय चुनाव करेंगे!

➡ पंच सरपंच के चुनाव समाप्त हो जाने के पश्चात उप सरपंच के पद के लिए पंच एवं सरपंच मिलकर अपने बीच के किसी एक पंच को मनोनीत करेंगे, यदि सरपंच सामान्य जाति के हैं तो उपसरपंच अनुसूचित जाति / जनजाति के पंच को बनाया जायेगा!

पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रें की ग्रामसभा

ग्राम सभा का गठन :–

अनुसूचित क्षेत्र के राजस्व ग्राम व् वनग्राम के भीतर भी एक या एक से अधिक ग्रामसभा का गठन किया जा सकता है !

कोरम :–

ग्राम सभा बैठक के लिए एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति तथा उसमे भी एक तिहाई महिलायों की उपस्थिति होनी चाहिए (ग्रामसभा सदस्यों की संख्या 300 है तो कोरम में 100 सदस्यों की आवश्यकता होगी जिसमे 33 महिलाएं होना अनिवार्य है)

अध्यक्षता :–

कोई भी निर्वाचित सदस्य सरपंच,उपसरपंच अथवा पंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है!
ग्रामसभा द्वारा सामान्य बहुमत से चुना गया अनुजाति / जनजाति का सरपंच अध्यक्ष होगा!

हमारी योजना हमारा विकास

प्रधान मंत्री मातृ वंदन योजना

प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) का उद्देश्य ➡

काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना।

योजना के लाभ :-

इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि **DBT** के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार निम्नलिखित किश्तों में राशि का भुगतान करेगी।

पहली किस्त: 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय।

दूसरी किस्त: 2000 रुपए,यदि लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कर लेते हैं ।

तीसरी किस्त: 2000 रुपए, जब बच्चे का जन्म पंजीत हो जाता है और बच्चे को **BCG, OPV, DPT** और हेपेटाइटिस-**B** सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है ।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना **(PMMVY)** निम्न श्रेणी के गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होगी।

1. जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में हैं।
2. जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्तकर्ता हैं।

बीते महीने

बीते महिनो में सी.जी पंच के द्वारा सरगुजा संभाग के अलग-अलग जिलों में सी .जी पंच की समिति का गठन किया गया जिसमें सरगुजा में मुख्य सलहाकार सुमित्र पैकरा सरपंच कंचनपुर को मुख्य सलाहकार, अशोक सिंह नेताम सरपंच अजिरमा को मुख्य संयोजक, गमला देवी सरपंच भकुरा उप मुख्य संयोजक, कामेश राम सरपंच खजुरी को मिडिया प्रभारी व् बुदेला राम सरपंच मेंड्राखुर्द को कार्यालय सचिव चुना गया इसकी देख रेख में पंचायतों के प्रत्येक कार्य एवं सी.जी पंच के द्वारा चलाई गए प्रशिक्षण में सहयोग देने की बात बात कही गई । इसके उपरांत जशपुर जिले कें सभी विकासण्डों में एक - एक कर संगठन बैठक एवं तत्तउप. रांत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य मुद्दा बच्चों के पोषण व विकास पर एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया । जशपुर जिले का पहला बैठक विकासखण्ड कांसाबेल, बगीचा, फरसाबहार, दुलदुला - कुनकुरी में प्रशिक्षण रखा गया जिसमे वहा के लोकल विधायक जी शामिल हुए एवं सी .जी पंच के कार्य की प्रशंसा की एवं कहा कि - सी .जी पंच के इस पहल से ग्राम पंचायत विकास स्तर की ओर बढ़ेगा एवं अपनें बच्चों कें पोषण पर विशेष ध्यान देने को अग्रसर होगा । इसके पश्चात जशपुर-मनोरा में प्रशिक्षण रखा गया

छत्तीसगढ़ पंचायत नेटर्वक के प्रशिक्षण कार्यक्रम बलरामपुर जिला के जनपद पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया गया जहॉ 50 से अधिक सरपंचों नें हिस्सा लिया । इस प्रशिक्षण में सामाजिक विशेषज्ञ श्री बालपारितोष जी व एमएसएसव्हीपी सचिव श्री मनोज भारती जी उपस्थित थे इस प्रशिक्षण का मुख्य विषय संगठन के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु कार्यनिति,बाल मित्र पंचायत का निर्माण व महिलाओं एवं बच्चों के पोषण मुद्दे विशेष थी । श्री बालपरितोश जी ने सरपंच को कुपोषण के कारण पहचान व बचाव की विस्तृत जानकारी दी तथा श्री मनोज भारती जी के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ व पोषण मुद्दो पर पहल की गई । प्रत्येक संगठन सभा व प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सरपंचो के लिये उचित भोजन एवं मार्गव्यय की भी उचित व्यवस्था की गई ।

इस कार्य में छत्तीसगढ शासन यूनिसेफ एवं स्वंय सेवी संस्था मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद का साझा सहयोग प्राप्त है जिला सूरजपुर में आयोजित संगठन सभा में उपस्थित रिसोर्स पर्सन सुनील जी ने एक सुदृढ़ जिलास्तरीय पंचायत की आवश्यकता पर बल देते हुए एवं छत्. तीसगढ़ पंचायत के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि - जितने भी नवनिर्वाचित सरपंच एवं महिला सरपंच है उनको प्रशिक्षत करने की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत सभी सरपंचो के उनके क्षेत्र के विकास के कार्यक्रमों के साथ योजना बनाने एवं उसके कियान्वयन व उसकी देखरेख करने संबंधी तकनीकी जानकारी देने की आवश्यकता है जो सी .जी पंच नेटवर्क के द्वारा आने वाले समय में किया जायेगा अब तक जिलेवार 8 ट्रेनिग पूर्ण हो गई है जिसमे बलरामपुर कोरिया समेत कुल 455 सरपंच प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

टीकाकरण

जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड

छः जानलेवा संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए अपने बच्चों को सही समय पर टीके अवश्य लगवाएं।

टीकाकरण क्या है?

बच्चो के शरीर मे रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चो के शरीर में रोग से लडने की शक्ति बढती है।

टीकाकरण से बच्चों मे कई सक्रांमक बीमारियों की रोकथाम होती है तथा समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर मे सुधार होता है।

टीकाकरण से बच्चों मे किस-किस रोगो से सुरक्षा संभव है?

भारत मे ऐसे छः गम्भीर संक्रामक रोग हैं जो प्रति-दिन हजारों बच्चो की जान ले लेते हैं या उन्हे अंपग बना देते हैं जैसे :-

1. खसरा
2. टेटनस (धनुष बाय)
3. पोलियो
4. क्षय रोग
5. गलघोंटू
6. काली खांसी
7. हेपेटाईटिस ''**B**''

इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओ को टेटनस के टीके लगाकर उन्हे व उनके नवजात शिशुओं को टेटनस से बचाया जाता है।

टीके कैसे दिये जाते है?

पोलियो के अतिरिक्त सभी रोग प्रति रक्षण टीके इंजेक्शन द्वारा दिये जाते है। पोलियो के टीके की दवा बच्चे को मुंह मे पिलाई जाती है।

राष्ट्रीय टीकाकरण सूची
गर्भवती महिला एंव गर्भ मे पल रहे बच्चे को टिटेनस की बीमारी से बचाने के लिये

गर्भावस्था मे जितनी जल्दी हो सके

टिटेनसटाक्साइड प्रथम / बूस्टर टीका द्वितीय टीका एक माह के अन्तराल से

नोट :- यदि पिछले तीन वर्ष मे दो टीके लगे हो तो केवल एक ही टीका पर्याप्त है

शिशुओं के लिए

11 / 2 माह की आयु पर	बी.सी.जी. का टीका हेपेटाईटिस **B** का प्रथम टीका डी.पी.टी.का प्रथम टीका पोलियो की प्रथम खुराक
21 / 2 माह की आयु पर	डी.पी.टी. का द्वितीय टीका हेपेटाईटिस **B** का द्वितीय टीका पोलियो की द्वितीय खुराक
31 / 2 माह की आयु पर	डी.पी.टी. का तृतीय टीका हेपेटाईटिस **B** का तृतीय टीका पोलियो की तृतीय खुराक
9-12 माह की आयु पर	खसरा का टीका
16-24 माह की आयु पर	डी.पी.टी.का बूस्टर टीका पोलियो की बूस्टर टीका
5-6 वर्ष की आयु पर	डी. पी. टी. का टीका
10-16 वर्ष की आयु पर	टी.टी. का टीका

स्वास्थ्य संस्थान मे जन्म लेने वाले सभी बच्चो को बी .सी .जी . का टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक (जीरो डोज) जन्म के समय दी जाती है।

याद रखे :

1 . बच्चो मे बी .सी .जी . का टीका, डी .पी .टी . के टीके की तीन खुराके, पोलियो की तीन खुराके व खसरे का टीका उनकी पहली वर्षगांठ से पहले अवश्य लगवा लेना चाहिए।

2 .यदि भूल वश कोई टीका छूट गया है तो याद आते ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता / चिकित्सक से सम्पर्क कर टीका लगवाये ये सभी टीके उप स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / राजकीय चिकित्सालयों पर नि:शुल्क उपलब्ध हैं।

3 . टीके तभी पूरी तरह से असरदार होते हैं जब सभी टीकों का पूरा कोर्स सही उम्र पर दिया जावें।

4 .मामूली खांसी, सर्दी, दस्त और बुखार की अवस्था मे भी यह सभी टीके लगवाना सुरक्षित है।

ग्रामीण भारत में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतें प्रभावी तरीके हैं। वे भारत के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं '' प्रधानमंत्री ''

एक पंचायत ऐसा देखा

समल साय सरपंच

बलरामपुर जिले के एक विकासखंड शंकरगढ़ का ये एक दुर्गम पंचायत कोठली, एक समय था जब यहाँ पीने तक के पानी की व्यवस्था नही थी ग्रामपंचायत के लोग दूर नदी नालों से पानी ला कर अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते थे साथ वही नाले का पानी पीने को मजबूर थे,

समल साय जिनकी उम्र मात्र अभी 46 वर्ष है जो की ग्रामपंचायत कोठली के सरपंच हैं, इन्होने एक सकारात्मक प्रयास किया और आज इनका ग्रामपंचायत पानी की समस्या से दूर हो गया, सरपंच समल साय ने अपने पंचायत में कई छोटी छोटी समस्यायों को दूर किये हैं ऐसी कई समस्याएं जिससे इनके ग्रामपंचायत वासी सालों से जूझ रहे थे जैसे शौचालय,पेयजल की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था,तथा स्कूल, अंगनवाडी जैसे स्थानों प् शौचालय व् पानी की व्यवस्था इस प्रकार की कई अव्यवस्था को सरपंच समल साय ने अपनी लगन व् सुझबुझ से ग्रामपंचायत के लोगो की मदद ले कर दूर किया

आज इस पंचायत में जिन घरों में शौचालय नही था वंहा बनवाया गया,जहाँ पीने के लिए नदी, नाला,ढोडी का पानी उपयोग में लाया जाता था आज वहां नलकूप खनन करवाया गया,सिंचा . ई के लिए डबरी एवं कूप का निर्माण करवाया गया स्कूल अंगनवाडी में पेयजल के लिए बोरवेल खनन करवाया गया, किसान पारा और चेरवा परा में स्ट्रीट लाईट लगवाई गई। यहाँ तक की कोरवा समुदाय के मात्र 25 घरों के बीच भी एक अंगनवाडी केंद्र बनवाया गया, 10 से उपर कुंड का निर्माण मवेशियों को पानी पीने के लिए करवाया गया,परसा टोली में 100 मीटर लम्बी सी सी रोड बनवाई गई, महिलायों, बच्चों के नहाने के लिए स्नानागार बनाया गया !

इस प्रकार के कई विकास कार्य सरपंच समल साय ने अपने ग्रामपंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर किया,सभी ग्रामपंचायत को इसी तरह मिसाल बनकर अपने पंचायत को विकास के पथ पर अग्रसर करने की जरूरत है ।

ग्रामपंचायत **कोठली**